न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितिः– धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 388/2026

1. राम कुमार, पे0–अरूण बिन्द
2. श्याम कुमार, पे0– अरूण बिन्द
3. अरूण बिन्द उर्फ अरूण जमादार, पे0–गंगा बेलदार
4. सरोज देवी, पति– अरूण बिन्द उर्फ अरूण जमादार
5. चंचला देवी उर्फ अर्चना कुमारी, पति–श्याम कुमार
   साकिन–सायवापर, थाना–अस्थावॉ, जिला–नालंदा
6. शिव कुमार, पे0–केदार बिन्द

साकिन–बछिया बिगहा, थाना–हलसी, जिला–लखीसराय.....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार

19.03.2026

बिन्द थाना कांड संख्या–236/2025 अंतर्गत धारा– 78, 79 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–67, 67(A), 66(E) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्त राम कुमार, श्याम कुमार, अरूण बिन्द उर्फ अरूण जमादार, सरोज देवी, चंचला देवी उर्फ अर्चना कुमारी एवं शिव कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को दी गयी। आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर आज सुनवाई की गयी।

उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने जमानत आवेदन के समर्थन में कथन किये है कि सूचिका रूवी देवी के द्वारा दिये गये टंकित परिवाद पत्र के आधार पर बिन्द थाना कांड संख्या–236/25 दर्ज किया गया है। आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदकगण की ओर से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह बिल्कुल निर्दोष है। उनपर लगाये गये आरोप धारा–67, 67(A), 66(E) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आकृष्ट नहीं होता है। आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की आशंका है। उसे फरार होने की संभावना नहीं है। वे न्यायालय के आदेश को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किये हैं।

सूचिका रूबी देवी के टंकित परिवाद पत्र के आधार पर अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचिका ने अपनी पुत्री की शादी राम कुमार, पे0 अरूण बिन्द के साथ तय की। दिनांक–22.08.2024 को उसकी पुत्री को देखने के लिए राज कुमार, श्याम कुमार, अरूण बिन्द, सरोज देवी, चंचला देवी एवं शिव कुमार आये और इस कार्यक्रम में राम कुमार तथा अन्य ने सूचिका तथा उसकी पुत्री का फोटो मोबाईल से खींच लिया। दिनांक–14.04.

क्रमशः

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितिः– धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 388/2026

राम कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार

लगातार

19.03.2026

2024 को उपरोक्त लोग शादी से इंकार कर दिया। इसकी सूचना बिंद थाना एवं आरक्षी अधिक्षक नालंदा को सूचना दी गई तो दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता करवाया गया। राम कुमार एवं उसके परिवार वाले शादी करने के लिए तैयार हो गये तथा फोटो बायरल करने से मना किया। परंतु वे लोग मोबाईल में लिये गये सूचिका एवं उसकी पुत्री के फोटो का अश्लील फोटो बनाकर अश्लील टिप्पणी के साथ मोबाईल नं0–9315353938, 9354556769, 9279536007, 8084873435 से इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बायरल कर दिया।

जमानत के बिन्दु पर उभय पक्षों का तर्क सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध अभियोग है कि वे लोग सूचिका रूबी देवी एवं उसकी पुत्री सपना कुमारी का फोटो मोबाईल से खींचकर उसका अश्लील फोटो बनाकर अश्लील टिप्पणी के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वायरल कर दिया। कांड दैनिकी के कंडिका–17 में (सूचिका), 18 में (सूचिका की पुत्री सपना कुमारी) तथा कंडिका–6 एवं 7 में साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन किया है। कंडिका–24 में आवेदकगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा–79 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–67, 67(A), 66(E) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को सत्य पाया गया है। केस दैनिकी के कंडिका–38 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक शिव कुमार के विरूद्ध दो अन्य केस लंबित है। केस दैनिकी के साथ Whatsapp की स्क्रीनशॉट की छायाप्रति संलग्न है, जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि अश्लील टिप्पणी पोस्ट की गई है। वाद का अनुसंधान जारी है। इस तरह आवेदकगण के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप लगाया गया है। इस स्थिति में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचना करने के उपरांत न्यायालय आवेदक अभियुक्त राम कुमार, श्याम कुमार, अरूण बिन्द उर्फ अरूण जमादार, सरोज देवी, चंचला देवी उर्फ अर्चना कुमारी एवं शिव कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** करती है।

(लेखापित एवं संशोधित)
ह0/–
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम्
सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
नालन्दा, बिहारशरीफ।